वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, भारतीय रेल को 18.08.2008 से 01.06.2014 तक की कालावधि के दौरान हाई स्पीड डीजल के विक्रय या उसके द्वारा क्रय को, उस सीमा तक जहां तक कि उसके संबंध में कर की दर 10 प्रतिशत से अधिक हो, इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर कर से छूट देती है, अर्थात्:-

1. यह कि यदि ऐसे क्रय भारतीय रेल के उत्तर-पश्चिमी जोन, जयपुर द्वारा किये जाते हैं तो इस अधिसूचना का फायदा इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध होगा कि पूर्वोक्त जोन राजस्थान में अपने प्रचालनों के लिए हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) की अपनी आवश्यकता की पूर्ति केवल राजस्थान राज्य से ही करेगा, जो किसी भी दशा में किसी वित्तीय वर्ष में भारतीय रेल के उत्तर पश्चिमी जोन, जयपुर द्वारा किये गये एच.एस.डी. के कुल क्रय के 90 प्रतिशत से कम नहीं होगा;
2. यह कि भारतीय रेल के उत्तरी-पश्चिमी जोन, जयपुर से राज्य के भीतर एच.एस.डी. के अपने क्रयों की त्रैमासिक सूचना, सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा; और
3. यह कि भारतीय रेल द्वारा उसकी ओर से ऐसे क्रय करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी को इससे संलग्न प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देना अपेक्षित होगा।

प्ररूप

मैं .... (नाम) भारतीय रेल का .... (पदनाम), इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. .... के धारक मैसर्स .... से भारतीय रेल के निमित्त क्रय किया गया हाई स्पीड डीजल केवल स्वयं के उपयोग के लिए है और पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए या माल के विनिर्माण में उपयोग किये जाने के लिए नहीं है।

सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी की मुहर
स्थानः.....................
दिनांकः...................

हस्ताक्षरः....................
प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-90]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts the sale to or purchase by Indian Railways, during the period from 18.08.2008 to 01.06.2014, of High Speed Diesel from the tax to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds 10% on the following conditions, namely:-

1. That in case such purchases are made by the North-Western Zone, Jaipur, of Indian Railways, the benefit of this notification shall be available subject to the condition that the aforesaid Zone shall fully source their High Speed Diesel (HSD) requirement for its operations in Rajasthan from the State of Rajasthan only, which shall not in any case be less than 90% of the total purchase of HSD made by North-Western Zone, Jaipur, of Indian Railways in a financial year;
2. That the North-Western Zone, Jaipur of Indian Railways shall be required to submit quarterly information of its purchases of HSD within the State, to the Assistant Commissioner / Commercial Taxes Officer, Special Circle, Rajasthan, Jaipur; and
3. That the officer authorized by Indian Railways to effect such purchases on its behalf shall be required to furnish to the selling registered dealer a certificate in form appended hereto.

FORM

I .... (Name) .... (Designation) of Indian Railways do hereby certify that the High Speed Diesel purchased from M/s .... holder of R.C. No.......................... on behalf of the Indian Railways are for own use only and not for the purpose of resale or use in the manufacture of goods.

Seal of the duly Authorized Officer.

Place:...................... Signature.................
Dated:..................... Designation of the Authorized Officer

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-90]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government